


1 39/16 IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED RUPEES

उप कांथागार लालगंज

24 JUN 2016

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

भारतीय गैर न्यायिक रुपये के द्वारा

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 352321



दिनांक : 6/9/16

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

"डॉ० रामनारायन राय फाउण्डेशन"

ग्राम व पोस्ट - जोलहापुर, तहसील - सगड़ी, जिला-आजमगढ, उ०प्र०

हम कि अभिषेक कुमार राय पुत्र श्री अशोक कुमार राय, ग्राम व पोस्ट- जोलहापुर, तह०-सगड़ी, जिला - आजमगढ उ०प्र० का निवासी हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति,अपासी सद्भाव व विश्राम सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई-चारा, साम्प्रदायिकता ताल-मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग-भेद,जाति-पाति,

क्रमशः...2


Abhishek Kumar Rai



(2)

अभिषेक

मोहर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 594092

छुआ-छुत, ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की बावत 2000/- (दो हजार रूपया) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रसाशन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिसकी स्थापना निम्न रूपेण की जायेगी।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "डॉ० रामनारायन राय फाउण्डेशन" पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास के कार्यालय निवासी- ग्राम व पो० - जोलहापुर, तह० - सगड़ी, जिला- आजमगढ़ होगा। उक्त न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा तथा न्यास के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकुर द्वारा गठित की जाने वाले संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुकिर व हम मुकिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थाएं स्थापित कर उनका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में दिया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास/ट्रस्ट के अधीन जानी व समझी जायेगी।

क्रमशः...3

Abhishek Kumar Rai



२५३
 नाम १००१ विभाग दार्जिलिंग
 १
 १०००००००
 १

राजकुमार सिंह ला. नं. ११
 मधुली. लाहौर, बिहार
 राजकुमार सिंह

पं. ज. वामन



शाशिकांतराव पुत्र श्री. रामफार राव
 सा. - जोलदापुर पो. - जोलदापुर सं. सम. १
 जिला - आजमगढ़


शाशिकांतराव

पं. ज. वामन



धीरनाथ शर्मा पुत्र श्री. नारायण शर्मा
 सा. जोलदापुर पो. जोलदापुर सं. सम. १
 जिला आजमगढ़

धीरनाथ शर्मा



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES

23 Aug
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

AP 693064

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

- में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
6. न्यास द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत या अनुमोदित करायें गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
7. न्यास मण्डल का कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो न्यास का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित न्यासी इसक लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ख) न्यास की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन:-

1. न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक के अनुपस्थित व बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष-वार के निर्णय-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपराप्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।
7. मुख्य न्यासी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य:-
- इस न्यास के मुख्य प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
 - न्यास से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
 - न्यास की समस्त कार्यवाही लिखित/लिखवाना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।

क्रमशः..14

Ashique Hussain Khatun Rai



भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 693063

(14)

- न्यास की बैठक को आमन्त्रित करना तथा उसकी सूचना न्यास मण्डल के सदस्यों को देना।
- न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट न्यास मण्डल के समक्ष रखना।
- न्यास की ओर से न्यास की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
- न्यास द्वारा तथा न्यास के विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों में न्यास की ओर से पैरवी करना तथा उसके लिए अधिवक्ता व मुख्यतार नियुक्त करना।
- इस न्यास विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारियों का प्रयोग करना तथा न्यास की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों के सहयोग से न्यास के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
- न्यास के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
- न्यास का आय-व्यय का रिपोर्ट करना तथा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से न्यास के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
- न्यास के वित्त सम्बन्धित लेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना।

8. न्यास के कोष की व्यवस्था:-


न्यास के कोष को सुचारु रूप से रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा। जिसमें न्यास को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ व ऋण राशियाँ निहित होंगी। न्यास के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य न्यासी द्वारा अकेले अथवा न्यास मण्डल द्वारा अधिकृत न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. न्यास के अभिलेख:-

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा प्रमुख रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, समस्त रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

क्रमशः..15

Abhishek Kumar Rai





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AC 433284

(15)

10. न्यास के सम्पत्ति की व्यवस्था:-

न्यास की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी।

- यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निस्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे की मुख्य न्यासी उचित समझें अधिकिस्त होंगे।
- यहकि मुख्य न्यासी न्यास के तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन का क्रय एवं विक्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा। या बेच सकेगा।
- यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास और उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।
- न्यास द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यदि किसी परिस्थितिवाश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद को लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास में निहित रहेगी।
- न्यास की आय-व्यय व लेखा के परीक्षा हेतु मुख्य न्यासी द्वारा परीक्षा की नियुक्ति की जा सकेगी।
- न्यास द्वारा न्यास के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।
- न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का निश्चय भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा। अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस कार्य हेतु नियुक्त करेगा।

क्रमशः 16

Abhighele Kumar Rai

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AC 433281

(16)

इसके अतिरिक्त न्यास मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।
न्यास मण्डल, न्यास के लिए वह सभी कार्य जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति की लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्त लागू होंगे।

घोषणा-पत्र

“डॉ० रामनारायण राय फाउण्डेशन” की तरफ से हम अमिषेक कुमार राय न्यासी के रूप में हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है। जिससे की न्यास का विधिवत गठन हो सके।
साक्षीगण

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी *Ashish Kumar Ray*

1. नाम : श्री शिवानन्द राय पु. श्री रामनारायण राय
पता : सा. जालहापुर पो. जालहापुर
जिला - आजमगढ़
2. नाम : डॉ० रामनारायण राय फाउण्डेशन
पता : हरि गार्डन पुल श्री गुरुदास गढ़ी,
सा. जालहापुर पो. जालहापुर
जिला - आजमगढ़

अमिषेक कुमार राय
प्रबन्धक/मुख्य न्यासी
डॉ० रामनारायण राय फाउण्डेशन
ग्राम व पोस्ट - जालहापुर
गढ़ी,
जिला-आजमगढ़, उ०प्र०
आधार कार्ड सं० : 353255442203
मो०न० : 7318460011

दंकरणकर्ता -
दिनांक -

मसविदाकर्ता - *श्री गुरुदास गढ़ी*
जालहापुर

२५३

क्रमांक १६ कोमत १०१ दिनांक
वाम
वाम
वह

दा. ६/१६

दा. ६/१६

२५३

१

राजकुमार सिंह
हमीर नारायण जिला

राजकुमार सिंह

आज दिनांक 07/09/2016 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 59

पृष्ठ सं. 165 से 196 पर क्रमांक 34

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रसेनजीत कुमार सिंह

उप निबन्धक रागडी

रागडी

7/9/2016



राजकुमार सिंह
हमीर नारायण जिला